उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 — अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1232—पें0एवंआर0—28/पाकालि/23—60—पी—98 टीसी—2023, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय—ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 06/2022/आई/154233/2022/फा0नं0—10—19099/141/2021—22, दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो उ0प्र0शासन के पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या : 6—सा—3—227/दस—2014—308/97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 की अनुसारिता में जारी किया गया है, द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण/व्यवस्था को निर्गत किया गया है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1232—पें0एवंआर0—28/पाकालि/23 तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को—कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर—।/स्तर—।।), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या—192(24) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
श. अहमद
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या- 06/2022 /आई/154233/2022/फा0नं0-10-19099/141/2021-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 अप्रैल, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की पात्रता के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1665/दस-2012-308/97, दिनांक 03 दिसम्बर,2012, शासनादेश संख्या-1/सा-3-482/दस-2014-308/97, दिनांक 20 मई, 2014 एवं शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97,दिनांक 01 जुलाई, 2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उपरोक्त आदेशों में से शासनादेश संख्या-6-सा-3-227/दस-2014-308/97, दिनांक 01 जुलाई, 2014 के प्रस्तर-5 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर अथवा उसकी पत्नी/पति की मृत्यु की तिथि, जो भी बाद में हो, को तलाकशुदा/विधवा थीं, को पात्रता की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, परन्तु ऐसी पुत्रियों, जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

3- तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/13/09-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 19 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-6 में यह स्पष्टीकरण/व्यवस्था दी गयी है कि "ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को कुटुंब पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दावाकर्ता केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम-54 के तहत कुटुंब पेंशन पाने की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन दिनांक 19 जुलाई, 2017 दिनांक 19 जुलाई, 2017 में दिये गये उपरोक्त स्पष्टीकरण/व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जाए, जहां राज्य सरकार के किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति के जीवन काल में तलाक की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गयी थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त तलाक हुआ था- बशर्ते दावाकर्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो। ऐसे मामलों में कुटुंब पेंशन तलाक की तिथि से आरंभ होगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।